UPMZ010060242026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 06, मुजफ्फरनगर।
पीठासीन अधिकारी– (Garima Singh-I), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06224**

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र–2388/2026

1– गुरमीत पंवार पुत्र संदीप कुमार निवासी ग्राम मिरकपुर, थाना देवबन्द, जिला सहारनपुर।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

अंतर्गत धारा– 109(1), 61(2)क, 351(3), 352 बी.एन.एस.

मु0 अ 0 सं0–74/2026
थाना–खतौली, जिला–मुजफ्फरनगर

दिनांक–09.06.2026

1– प्रार्थी/अभियुक्त गुरमीत पंवार की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र मु0 अ 0 सं0 74/2026, अन्तर्गत धारा 109(1), 61(2)क, 351(3), 352 बी.एन.एस., थाना खतौली, जिला मुजफ्फरनगर के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। आवेदकगण उपरोक्त प्रकरण में वांछित है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है।

2. आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र के अनुसार यह उनका प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है तथा इससे पूर्व कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही विचाराधीन है, न ही निरस्त हुआ है।

3. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा प्रकरण के सम्बन्धित केस डायरी व अन्य सुसंगत प्रलेखो का अवलोकन किया।

4. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी द्वारा इस आशय की तहरीर थाने पर दी गयी कि दिनांक 16.03.2026 को शाम के समय करीब 4 बजे अरविन्द पर शुभम ने अन्य तीन साथियो के साथ मिलकर गाली–गलौच कर जान से मारने की नीयत से अरविन्द पर तमन्चे से गोली चला दी, गोली अरविन्द के दाहिने हाथ में लगी। अभियुक्त अपने साथियो के साथ जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया।

5. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया है कि आवेदक/अभियुक्त किसी संज्ञेय व असंज्ञेय अपराध में सजायफ्ता नहीं है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है, और न ही आवेदक/अभियुक्त

Digitally signed by GARIMA SINGH
Date: 2026.06.10 16:43:23 IST
Reason: Bail order
Location: District and Sessions Court-6
MZN

उन तीन अज्ञात व्यक्तियों में है जिन्हें प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त के साथ घटना कारित करना बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त का नाम सहअभियुक्त के बयानों के आधार पर प्रकाश में आया है। आवेदक/अभियुक्त का कथित चुटैल से कोई मतलब या वास्ता नहीं है। आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है एवं उसके फरार होने की कोई सम्भावना है। आवेदक/अभियुक्त कतई निर्दोष है, आवेदक/अभियुक्त कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त माननीय न्यायालय की अनुमति के भारत नहीं छोड़ेंगे। आवेदक/अभियुक्त माननीय न्यायालय द्वारा लगायी गयी सभी शर्तो का पालन करेंगे। आवेदक/अभियुक्त साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेंगे न ही साक्ष्यों को प्रभावित करेंगे एवं विवेचना में पूर्ण सहयोग करेंगे। इस प्रकार अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने की याचना की गयी है।

6. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध किया गया तथा कथन किया कि अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी के भाई पर जान से मारने की नीयत से फायर करने तथा गाली–गलौच कर जान से मारने की धमकी दी गयी है। अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थनापत्र का घोर विरोध किया जाता है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

7. उभयपक्ष के तर्कों के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया, प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी के भाई पर जान से मारने की नीयत से फायर करने तथा गाली–गलौच कर जान से मारने की धमकी देने का आक्षेप है। घटना में वादी के भाई को चोटे आने का उल्लेख है तथा उसका चिकित्सीय परीक्षण आख्या भी पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें चुटैल को चोटे आना उल्लिखित है। मामले की विवेचना प्रचलित है।

8. धारा 438 दंड प्रकिया संहिता में इसका उल्लेख किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का निस्तारण करते समय निम्न बातो पर विचार किया जायेगा–

(I) अभियोग की प्रकृति और गंभीरता

(II) आवेदक का पूर्ववृत्त जिसमे यह तथ्य भी सम्मिलित है कि क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर पहले ही कारावास भुगत चुका है।

(III) न्याय से भागने की संभाव्यता और

(IV) जहां आवेदक को उसे इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुंचाने या अपमानित करने के उददेश्य से अभियोग लगाया गया हो।

9. यह विधिक सिद्धान्त है कि अग्रिम जमानत विशेष परिस्थितियों में अपवाद स्वरूप स्वीकार की जा सकती है, जब यह पता चले कि आवेदक पर उसे इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुंचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया हो। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे यह विदित हो कि इस अपराध में आवेदक/अभियुक्त पर उसे क्षति पहुंचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से आरोप लगाया गया है। अतः उपरोक्त विधिक सिद्धान्त एवं अपराध की गम्भीरता एवं अपराध में अभियुक्त के प्रथम दृष्टया संलिप्त होने तथा मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त नहीं है, तथा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त गुरमीत पंवार की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(गरिमा सिंह–।)

अपर जनपद व सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–06, मुजफ्फरनगर।
J.O. Code –UP06224